बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
आदेश

श्री कुमुद रंजन, तत्कालीन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, गिद्धौर, जमुई सम्प्रति श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, बेतिया सदर दि0–22.07.2014 को चिकित्सीय जांच हेतु तीन दिनों का अवकाश दिये जाने हेतु श्रम अधीक्षक, जमुई को आवेदन समर्पित किया। पुनः स्पीड–पोस्ट के माध्यम से "बिना छुट्टी की अवधि का उल्लेख किये बिना" अवधि विस्तार हेतु आवेदन, श्रम अधीक्षक, जमुई के कार्यालय में समर्पित किया। परन्तु उक्त तिथि के बाद श्री रंजन द्वारा श्रम अधीक्षक, जमुई के कार्यालय में योगदान समर्पित नहीं किया गया।

तदालोक में विभागीय पत्रांक–236 दि0–08.01.2018 द्वारा श्री रंजन को निलम्बित करते हुए श्रमायुक्त कोषांग में इनका मुख्यालय निर्धारित किया गया। श्री रंजन द्वारा उक्त निर्धारित मुख्यालय में दि0–09.01.2018 को अपना योगदान समर्पित किया गया। विभागीय आदेश ज्ञापांक–448 दि0–16.01.2018 द्वारा श्री रंजन को निलम्बन से मुक्त करते हुए श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, बेतिया सदर के पद पर पदस्थापित किया गया। सहायक श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर, मुख्यालय बेतिया के पत्रांक–609 दि0–19.05.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री रंजन, तबीयत खराब का हवाला देते हुए आकस्मिक अवकाश का आवेदन देकर दि0–31.03.2018 से अभी तक लगागार मुख्यालय से अनुपस्थित हैं। विभागीय पत्रांक–4594 दि0–22.06.2018 द्वारा जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया से श्री रंजन का मेडिकल बोर्ड गठित कर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। सहायक श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर, मुख्यालय बेतिया के पत्रांक–1032 दि0–18.08.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि श्री रंजन के चिकित्सीय परीक्षण हेतु असैनिक शल्य चिकित्सा–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, प0 चम्पारण द्वारा दिनांक–13.08.2018 को चिकित्सा परिषद् का गठन किया गया, परन्तु दि0–12.08.2018 को श्री रंजन द्वारा सूचित किया गया कि वे लम्बी यात्रा कर बेतिया आकर चिकित्सीय परीक्षण कराने में असमर्थ हैं।

श्रम अधीक्षक, जमुई के पत्रांक–389 दि0–17.07.2018 द्वारा बिना आवेदन स्वीकृत कराये अपने मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में श्री रंजन के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया। श्रम अधीक्षक, जमुई द्वारा विभाग को प्रेषित श्री रंजन के अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में जुलाई, 2014 से 7 जनवरी, 2018 तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण वेतन निकासी नहीं किये जाने का उल्लेख है। विभागीय पत्रांक–6127 दि0–16.08.2018 द्वारा श्री रंजन से आरोप के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गयी, परन्तु उनका जबाव अप्राप्त रहने की स्थिति में दि0–30.10.2018 को समाचार पत्र में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुए उनसे आरोप के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गयी, परन्तु उनका जबाव अप्राप्त रहा। तदालोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–8240 दि0–28.12.2018 द्वारा श्री रंजन के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई संचालित की गयी जिसमें श्री रोहित राज सिंह, सहायक श्रमायुक्त, मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी का कार्यालय, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–74 दि0–09.07.2019 द्वारा प्रासंगिक मामले में जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा मामले की सुनवाई विभिन्न तिथियों को निर्धारित कर आरोप के संबंध में आरोपी पदाधिकारी से बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित करने की मांग की। परन्तु श्री रंजन उक्त निर्धारित सुनवाई में अनुपस्थित रहे एवं संचालन पदाधिकारी के आदेश की अवेहलना करते रहे। साथ ही उनके द्वारा कोई भी लिखित मंतव्य या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त स्थिति के आलोक में श्री रंजन को विभागीय कार्रवाई के प्रति कोई रूचि नहीं लेने के कारण संचालन पदाधिकारी द्वारा एक पक्षीय निर्णय लेते हुए इनके विरूद्ध लगे आरोपों को प्रमाणित पाया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों से सहमत होते हुए विभागीय पत्रांक–3363 दि0–01.08.2019 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–18(3) के तहत जांच प्रतिवेदन पर आरोपी पदाधिकारी से अभ्यावेदन की मांग की गयी।

परन्तु उक्त संबंध में श्री रंजन का आवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में दि0–28.09.2019 को समाचार पत्र में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुए जांच प्रतिवेदन पर अभ्यावेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। परन्तु श्री रंजन का जबाव अभी तक अप्राप्त रहा है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के सम्यक जॉचोपरांत पाया गया कि श्री रंजन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, बेतिया सदर को अनाधिकृत रूप से अपने कार्यालय से अनुपस्थित हैं। बार–बार निदेश दिये जाने के बाद भी वे लगातार रूप से अनुपस्थित रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि उनकी सरकारी सेवा में कोई रूचि नहीं है। वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के भाग–V नियम–14 (Xi) के आलोक में निम्न दण्ड अधिरोपित किया जाता है:–

1. श्री कुमुद रंजन, तत्कालीन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, गिद्धौर, जमुई सम्प्रति श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, बेतिया सदर, (जन्म तिथि–04.01.1979) को **"सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी"**, का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

ह0/–
(धर्मेन्द्र सिंह)
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक–5/आर0एल0–40–01/2018 श्र0सं0– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि:– जिला कोषागार पदाधिकारी, बेतिया को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(धर्मेन्द्र सिंह)
श्रमायुक्त, बिहार

स्पीडपोस्ट ज्ञापांक–5/आर0एल0–40–01/2018 श्र0सं0– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि:–जिला पदाधिकारी, बेतिया, प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(धर्मेन्द्र सिंह)
श्रमायुक्त, बिहार

स्पीडपोस्ट ज्ञापांक–5/आर0एल0–40–01/2018 श्र0सं0– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि:–उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर/सहायक श्रमायुक्त, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. आपको निदेश दिया जाता है कि उक्त आदेश की प्रविष्टि श्री कुमुद रंजन, तत्कालीन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, गिद्धौर, जमुई सम्प्रति श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, बेतिया सदर के सेवापुस्त में करते हुए आदेश का तामिला कराया जाय।

ह0/–
(धर्मेन्द्र सिंह)
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक–5/आर0एल0–40–01/2018 श्र0सं0– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि:– श्री कुमुद रंजन, तत्कालीन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, गिद्धौर, जमुई सम्प्रति श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, बेतिया सदर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

स्थायी पता–
पिता का नाम–घनश्याम सिंह, ग्राम–घौरी,
पो0–राजपुर, थाना–बेलहर, जिला–बांका।

ह0/–
(धर्मेन्द्र सिंह)
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक–5 / आर0एल0–40–01 / 2018 श्र0स0– दिनांकः–
प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –
(धर्मेन्द्र सिंह)
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक–5 / आर0एल0–40–01 / 2018 श्र0स0– दिनांकः–
प्रतिलिपि–सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / प्रमंडलीय आयुक्त / जिला पदाधिकारी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
(धर्मेन्द्र सिंह)
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक–5 / आर0एल0–40–01 / 2018 श्र0स0– 437 दिनांकः– 4.2.2020
प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना / आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं गजट प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(धर्मेन्द्र सिंह) 4/2/2020
श्रमायुक्त, बिहार

(3)